क्रम-संख्या—2 40

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4
लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41
(लाइसेन्सशुदा पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 24 मार्च 1987

चैत्र 3, 1909 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 445/सत्रह-वि-1—1 (क)-4-1987

लखनऊ, 24 मार्च, 1987

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1987 पर दिनांक 22 मार्च, 1987 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1987 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1987

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1987]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा।

(2) यह 28 जनवरी, 1987 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1976 की धारा 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 3 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायगी, अर्थात्—

"(5) उपधारा (5-क) में जैसी व्यवस्था की गयी है उसके सिवाय, फाइनेंशियल हैण्डबुक, खण्ड दो (भाग दो से चार) में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फण्डामेन्टल रूल्स के नियम 56 के उपबन्ध अधिकरण के प्रत्येक सदस्य पर उसी प्रकार लागू रहेंगे जिस प्रकार वे उसी श्रेणी, पंक्ति या संवर्ग के किसी अन्य सरकारी सेवक पर लागू होते हैं :

परन्तु उपधारा (4) के परन्तुक में निर्दिष्ट कोई न्यायिक सदस्य तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसकी आयु बासठ वर्ष की न हो जाय ।

(5-क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को जो अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गया हो, न्यायिक सदस्य या प्रशासकीय सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्त कर सकती है, यदि वह उपधारा (3) के अधीन ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये अन्यथा पात्र हो, और ऐसा व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिये या जब तक कि उसकी आयु बासठ वर्ष की न हो जाय, इसमें जो भी पहले हो, पद धारण करेगा ।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2, सन् 1987

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1987 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
श्री नाथ सहाय,
सचिव ।

No. 445(2)/XVII-V-1—1-(Ka)-4-1987

Dated Lucknow, March 24, 1987

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Sewa (Adhikaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1987, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 1987), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 22, 1987 :

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (TRIBUNALS) (AMENDMENT) ACT, 1987

(U. P. Act No. 6 of 1987)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) Act, 1976

It is hereby enacted in the Thirty-eighth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 1987.

(2) It shall be deemed to have come into force on January 28, 1987.

Amendment of section 3 of U. P. Act no. 17 of 1976.

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) Act, 1976, *for* sub-section (5), the following sub-sections shall be *substituted*, namely :—

"(5) Except as provided in sub-section (5-A), the provisions of Rule 56 of the Uttar Pradesh Fundamental Rules, published in the Financial Handbook, Volume II (Parts II to IV), shall continue to apply to every member of the Tribunal, as they apply to any other Government servant of the same grade, rank or cadre :

Provided that a Judicial Member, referred to in the proviso to sub-section (4) shall continue to hold office till he attains the age of sixty-two years.

(5-A) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, a person who has retired from Government service on attaining the age of superannuation may be re-employed by the State Government as Judicial Member or Administrative Member, if he is otherwise eligible for appointment as such member under sub-section (3), and such person shall hold office for a period of two years from the date on which he enters upon his office or until he attains the age of sixty-two years, whichever be earlier.

Repeal and savings.

U. P. Ordinance no. 2 of 1987

3. (1) The Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 1987, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by his Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order

S. N. SAHAY,
Sachiv.

बी० एस० यू० पी०—ए० पी० 192 सं० (विधा०)—(3292)—1987—850 (प्रेक०)।